

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2016

क्रमांक एफ 2-87/2016/26-2

: मंत्रि-परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के

परिप्रेक्ष्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के ऐसे हितग्राही जो पात्रता के मापदण्डों में अर्थात् 60 से 79 वर्ष आयु के हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा रू0 200/- की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है ऐसे हितग्राहियों को राज्य शासन की ओर से रू0 100/- का राज्यांश सम्मिलित करते हुये पेंशन भुगतान किया जाये। अर्थात् अब भुगतान योग्य पेंशन राशि रू0 300/- प्रतिमाह होगी।

2. पेंशन की पुनरीक्षित दर माह सितम्बर 2016 से प्रभावशील होगी जिसका वास्तविक लाभ हितग्राही को माह अक्टूबर 2016 से प्राप्त होगा।

3. म0प्र0शासन, सामाजिक न्याय विभाग के परिपत्र क्रमांक 541/26-2/2013, दिनांक 25-04-2013 से जारी किये गये अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

4. उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(वीरेन्द्र कुमार बाथम)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 2-87/2016/26-2

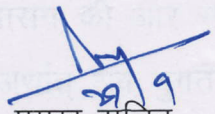
भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, भोपाल
3. विशेष सहायक/निज सचिव/निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
4. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन
5. संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
7. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल
8. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश

9. संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल
 10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
 11. आयुक्त, समस्त नगर निगम, मध्यप्रदेश
 12. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
 13. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश
 14. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश
 15. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद्, मध्यप्रदेश
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

(शिरेंद्र कुमार वैश्य)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

पुस्तक क्रमांक एच 2-87/2018/25-2

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2018

प्रतिनिधि

प्रतिनिधि

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
2. सहायक सचिव, मुख्य सचिव, भोपाल
3. विशेष सहायक/निज सचिव, निज सहायक, सम्बन्धित माननीय मंत्री/सचिव, संघीय
4. संबंधित विभागों के उपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/अचिव, मध्यप्रदेश शासन
5. संबंधित विभागों के निदेशाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
6. मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
7. आचार्य, जनसम्पर्क मध्यप्रदेश, भोपाल
8. सम्बन्धित संसदीय आयुक्त, मध्यप्रदेश